

शिक्षा क्षेत्र में सुधार

प्रलिस के लिये:

वशिवदियालय अनुदान आयोग, राषट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परषिद, राषट्रीय शिक्षा नीति, संसदीय समतियाँ

मेन्स के लिये:

शिक्षा क्षेत्र में सुधार, राषट्रीय शिक्षा नीतिकी वशिषताएँ, प्रत्यायन पर प्रभाव, आर्थिक विकास में शिक्षा का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

संसदीय स्थायी समिति ने भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा मानकों, मान्यता (प्रत्यायन) प्रक्रिया, अनुसंधान, परीक्षा सुधारों और शैक्षणिक वातावरण की समीक्षा की।

रिपोर्ट के नषिकरष:

- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा वभिग ने समिति को सूचित किया कि मात्र 30% वशिवदियालय और 20% कॉलेज प्रत्यायन प्रणाली में हैं।
 - कुल 50,000 कॉलेजों में से 9,000 से कम कॉलेज मान्यता प्राप्त हैं।
- कई डीम्ड वशिवदियालयों ने तेज़ी से पैसा कमाने के लिये मुक्त दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया है जिससे शोध कार्य की गुणवत्ता में कमी आती है।
- कई राज्य वशिवदियालय सुचारु रूप से मूल्यांकन करने में लगातार वफिल रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर प्रश्नपत्र लीक और नकल जैसे बड़े मामले समाचारों में देखे जाते हैं।

प्रत्यायन प्रणाली:

- परचिय:**
 - प्रत्यायन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इस बात का मानकीकरण होता है कि कौन से न्यूनतम बेंचमार्क बनाए जाने हैं।
 - यह एक औपचारिक, स्वतंत्र सत्यापन प्रक्रिया है जो यह निर्धारति करती है कि कोई कार्यक्रम या संस्थान परीक्षण, नरीक्षण या प्रमाणन के मामले में स्थापति गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है या नहीं।
- महत्त्व:**
 - यह स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।
 - यह गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और उत्पाद प्रमाणन से संबंधति गुणवत्ता मानकों को अपनाने पर भी जोर देता है।
 - यह भारतीय उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता प्रतस्पर्द्धात्मकता में सुधार के उद्देश्य को साकार करने में मदद करता है।
- ग्रेडिंग प्रक्रिया:**
 - वर्तमान में **राषट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परषिद (NAAC)**, **वशिवदियालय अनुदान आयोग (UGC)** के तहत एक स्वायत्त नकियाय है, जो पठन-पाठन, अनुसंधान एवं बुनयादी ढाँचे सहति कई मापदंडों पर उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करता तथा संस्थानों को A++ से लेकर C तक के ग्रेड प्रदान करता है।
 - यदि किसी संस्थान को D ग्रेड दिया जाता है, तो इसका अर्थ है कि वह मान्यता प्राप्त नहीं है।
 - ग्रेडिंग पाँच वर्ष के लिये वैध होती है।
- अंतरराषट्रीय प्रत्यायन मंच (International Accreditation Forum-IAF):**
 - IAF** अनुरूपता मूल्यांकन प्रत्यायन नकियायों और प्रबंधन प्रणालियों, उत्पादों, सेवाओं, कर्मियों तथा अनुरूपता मूल्यांकन के अन्य समान कार्यक्रमों के क्षेत्र में रुचिरिखने वाले अन्य नकियायों का वैश्विक संघ है।

- **अनुरूपता मूल्यांकन निकाय:** ये ऐसे निकाय हैं जो उत्पाद, प्रक्रिया या सेवाओं तथा प्रबंधन प्रणालियों को प्रमाणित करते हैं।
 - उदाहरण के लिये अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO)।
 - भारत भी इसका सदस्य है।

समिति की प्रमुख सफ़ारिशें:

- **मुद्दों का विश्लेषण:**
 - **NAAC और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA)**, जो उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा पेश किये जाने वाले पाठ्यक्रमों को मान्यता देता है, के सामने आने वाले मुद्दों का विश्लेषण किया जाना चाहिये और उन पर काम किया जाना चाहिये।
- **लगातार प्रत्यायन:**
 - **प्रत्यायन की आवृत्त और आवधिकता के मानदंडों को परभाषित किया जाना चाहिये** ताकि संस्थान समीक्षा के बिना वर्षों तक ग्रेड बनाए रखने की प्रवृत्ति विकसित न करें, क्योंकि यह प्रवृत्ति समीक्षा के बिना संस्थानों को आत्मसंतुष्टता की ओर ले जाती है और गुणवत्ता तंत्र को कमजोर करती है।
- **परीक्षा प्रबंधन:**
 - समिति अनुशंसा करती है कि संस्थान की परीक्षा प्रबंधन योग्यता के मानदंड को भी मान्यता के विचार के लिये अनिवार्य मानदंड के रूप में माना जाए।
 - इसने कोचिंग सेंट्रों के सहयोग से कदाचार में शामिल उच्च संस्थानों की मान्यता रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई का भी सुझाव दिया।
 - सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इस आधार पर ग्रेड प्रदान किया जाना चाहिये कि उनकी परीक्षाएँ कतिनी विश्वसनीय और आसान हैं।
- **डीमड विश्वविद्यालय:**
 - तथाकथित "डीमड विश्वविद्यालयों" को भी 'विश्वविद्यालय' शब्द का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिये क्योंकि अन्य देशों में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है।
- **संस्थानों का वित्तपोषण:**
 - अधिक वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने के लिये इसने सुझाव दिया कि "व्यक्तियों, पूर्व छात्रों और संस्थानों द्वारा दिया गया दान" 100% कर कटौती योग्य होना चाहिये।
- **डिजिटल पाठ्यक्रम मानदंड:**
 - इसने यह भी सुझाव दिया कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये मानदंडों पर फरि से विचार करने और संशोधित करने की तत्काल आवश्यकता है।
 - मुक्त दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के संबंध में विकल्पों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद समिति ने ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये पर्याप्त उपाय करने की सफ़ारिश की।

भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिये पहल:

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति:**
 - **NEP 2020** का उद्देश्य "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना" है।
 - कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की भी मंजूरी दे दी है।
 - कैबिनेट द्वारा स्वीकृत NEP आज्ञादी के बाद से भारत में शिक्षा के ढाँचे में तीसरा बड़ा सुधार है।
 - इससे पहले की दो शिक्षा नीतियाँ वर्ष 1968 और 1986 में लाई गई थीं।
- **मार्गदर्शन:**
 - अच्छे प्रत्यायन रिकॉर्ड वाले संस्थानों या शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को अपेक्षाकृत नए 10 से 12 संभावित संस्थानों को सलाह देने के लिये चुना जाता है।
 - संस्थानों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने की प्रथाओं का अनुकरण चहिनति में संस्थान में किया जाएगा।
 - संस्थानों को प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिये तीन वर्ष की अवधि में 50 लाख रुपए (कशितों में) तक प्रता संस्थान वित्तपोषण भी प्रदान किया जाएगा।
- **एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट:**
 - यह एक डिजिटल बैंक के रूप में परिकल्पित है जो किसी भी पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट को संग्रह है।
 - यह बहुवर्षिक और समग्र शिक्षा की सुविधा के लिये एक प्रमुख साधन है।
 - यह उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये कई प्रवेश और निकास विकल्प प्रदान करेगा।
 - यह युवाओं को भविष्योन्मुखी बनाएगा और **आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** से संचालित अर्थव्यवस्था के लिये रास्ता खोलेगा।

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स

